आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला..............मधुबनी........................संख्या— **13** सन् 2019—20

केष का प्रकार ....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा—9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार—सुधीर कुमार सिंह

प्रतिपक्षीः— राजीव सिंह / मनोज कुमार सिंह

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
4.12.19	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को अपना—अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गई तामिला हेतु अंचल अधिकारी, रहिका को भेजा गया। अंचल अधिकारी, रहिका के पत्रांक—1299 दिनांक—26.07.19 से तामिला की प्रति भेजी गई। आवेदक का तामिला हुआ प्रतिपक्षी के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि क्रमांक—2 पर अंकित नाम का व्यक्ति बाहर हैं इसलिए तामिला नहीं हुआ। आवेदक का आवेदन है कि प्रतिपक्षी ने नजरअंदाज करते हुये हमारे पूर्वजों का जमीन का जमाबंदी संख्या—1215 पुराना खाता नं. 287 पुराना खेसरा—547, 549 नया खेसरा— 250 में से उपरोक्त जमाबंदी संख्या से कटा लिये हैं। विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया। वाद संचालन के क्रम में कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुये। आवेदक की ओर से एक आवेदन दिनांक—16.10.2019 को अपने पूर्व आवेदन के क्रम में दिया गया कि फरीकैनों के बीच आपसी बटवारा के आधार पर अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा दाखिल खारिज किया गया किन्तु आवेदक के नाम से दाखिल खारिज अंचल अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः आवेदक के नाम से भी दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम किया जाय। आवेदक का आवेदन पत्रांक—258 दिनांक—18.10.2019 द्वारा अंचल अधिकारी, रहिका को यथोचित कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा गया तथा पत्र की प्रतिलिपि आवेदक को भी संसूचित की गई। वाद संचालन के क्रम में दोनों पक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अदम्य पैरवी के अभाव में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित 4.12.19 अपर समाहर्ता, मधुबनी। अपर समाहर्ता, मधुबनी। 4.12.19	

निदेशानुसार आदेश की प्रति अं०अधि० रहिका एवं [illegible] को भेजा पत्रांक 306/[illegible] दि० 5-12-19 से

4/12/19

पेशकार